भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294719 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/जीसीए/449/2016-17/वॉल्यू-II/09304 दिनांक 02/05/2019

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः- सीप्ज़–सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़–सेज़ परिसर में गटरों, जलनिकासी तथा मल-व्यवस्था लाइनों की सफाई, हटाने तथा निपटान के लिए वार्षिक संविदा।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण वर्ष 2019-20 के लिए उपर्युक्त कार्यों के लिए, "जहां है, जैसा है की स्थिति" के आधार पर सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ पंजीकृत / नामिकागत वेंडरों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य-क्षेत्र इस प्रकार है:

1. सीप्ज़–सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़ – सेज़ परिसर में दैनिक आधार पर गटर, जलनिकासी तथा मल-व्यवस्था लाइनों की सफाई।
2. सीप्ज़-सेज़ परिसर के साथ-साथ सीप्ज़-सेज़ आवासीय संकुल के अपशिष्टों का संग्रहण।
3. उक्त अपशिष्ट का दैनिक आधार पर हटाना / निपटान।

II. **निविदा प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:**

1. नामिकागत / पंजीकृत वेंडरों द्वारा निविदाएं दो बोली प्रणाली के रूप में प्रस्तुत की जाए अर्थात निम्नलिखित दो अलग-अलग लिफाफे में:-
   (i) तकनीकी बोली तथा (ii) वित्तीय बोली

   लिफाफा 1 के ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा गया हो जिसमें पैराग्राफ III के अनुसार तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं।

   लिफाफा 2 के ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो जिसमें पैराग्राफ IV के अनुसार बोली मूल्य रखा जाए।

2. दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए जिसके ऊपर लिखा गया हो "सीप्ज़–सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़–सेज़ परिसर में गटरों, जलनिकासी तथा मल-व्यवस्था लाइनों की सफाई, हटाने तथा निपटान के लिए वार्षिक संविदा" तथा यह लिफाफा "संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 को संबोधित कियाजाए।

3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 26.12.2019 को अपराह्न 2.30 बजे तक डाक/कूरियर द्वारा अथवा स्वयं बोलीदाता द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया

जाएगा अथवा यह विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, मुंबई के भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग के निकट रखे निविदा बॉक्स में डाला जा सकता है।

4. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

5. निविदा के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन/ चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

6. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर कंपनी/फर्म की सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों।

7. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. बोलीदाता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के प्राधिकार का प्रमाणपत्र (जोकि व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

9. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

10. बोलीदाता शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे। यदि शब्दों में कोट की गई दरें, अंकों में कोट की गई दरों से भिन्न हों, तो इन दोनों में से जो भी दर अधिक होगी, वही दर सही मानी जाएगी।

11. बोलीदाता निविदा खोले जाने के समय स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने संबंधित एजेन्सी से प्राधिकार पत्र लेकर के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

12. समिति यदि चाहे तो, बिना कोई कारण बताए बोलीदाता की पात्रता से संबंधित किसी एक अथवा अन्य शर्तों को शिथिल कर सकती है, उसमें / उनमें संशोधन कर सकती है।

13. बोली प्रस्तुत करने के पश्चात इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है।

14. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाता के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

15. कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

(II) निविदा का खोला जाना:

1. लिफाफा I जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली" दिनांक 24.5.2019 को अपराह्न 16.00 बजे,** विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 के दूसरे तल पर स्थित

सम्मेलन हॉल में बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो निविदाएं खोलनेवाली समिति तथा इसके लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना चाहे, खोला जाएगा।

2. लिफाफा-2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा-1 के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी (केवल तकनीकी दृष्टि से अर्हक बोलीदाता के लिए) ।

3. निविदाएं खोलनेवाली समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

4. सीप्ज़-सेज़ आवासीय संकुल के गटर अपशिष्ट को छोड़कर गटर अपशिष्ट की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को सीमा शुल्क में शामिल की गई कीमत मानी जाएगी।

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

अनुबंध-क

(I) एजेन्सी का प्राथमिक विवरण:

1. एजेन्सी / फर्म का नामः-
2. संपर्क पताः
3. संपर्क संख्याः-
4. ई-मेल का पता (अनिवार्य):-

(II) <u>पूर्व अर्हता के लिए मानदंड (तकनीकी बोली दस्तावेज़):</u>

1. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ पंजीकृत / नामिकागत दस्तावेज़।
2. एजेन्सी / फर्म के पैन, जीएसटी पंजीकरण तथा पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रतिलिपियां।
3. **सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"**, मुंबई के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी)।
4. गटर अपशिष्ट के निपटान हेतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) का वैध प्रमाणपत्र।
5. एजेन्सी / फर्म का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का कम से कम 50 लाख रूपए (पचास लाख रूपए) का टर्नओवर हो (लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करें)।
6. निविदा दस्तावेज के साथ इस बोलीदाता / फर्मों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय की स्वघोषणा प्रस्तुत की जाए कि उन्होंने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को अच्छी तरह समझ कर स्वीकार कर लिया है।
7. केंद्रीय सरकार के विभाग / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकायों / बैंक / प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी/ फर्म के द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण। उपर्युक्त विभागों / संगठनों के कम से कम 5 ग्राहकों की सूची संलग्न की जाए।
8. 100/- रू. के स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र जिसमें निम्नानुसार घोषणा की गई होः-
   (i) एजेन्सी / फर्म को किसी केंद्रीय सरकार के किसी विभाग / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकायों / बैंक / प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी/ फर्म के किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और ना ही हमारे विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
   (ii) बोलीदाता तथा उसके कर्मचारी (यों) की बोली के प्रस्तुत किए जाने के समय तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
9. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा। वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा।
10. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो। (निगमन प्रमाणपत्र / व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स / परिसर अधिभोग करने संबंधी करार / बिजली बिल अथवा टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण संलग्न करें)।

अनुबंध-ख

वित्तीय बोली का फॉर्मेट

क्रम संख्या	विवरण	प्रति केजी दर (रू. में) (अंकों में)	प्रति केजी दर (रू.में) (शब्दों में)
1	सीप्ज़–सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़–सेज़ परिसर में गटरों, जलनिकासी तथा मल-व्यवस्था लाइनों की सफाई, हटाने तथा निपटान।		

* वित्तीय बोली में **"जहां है, जैसा है"** के आधार पर (देय करों तथा सीमा शुल्क को छोड़कर) प्रति केजी दरों का उल्लेख किया जाए।

* सीप्ज़-सेज़ आवासीय संकुल के गटर अपशिष्ट को छोड़कर गटर अपशिष्ट की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को सीमा शुल्क में शामिल की गई कीमत मानी जाएगी।

हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर दी गई दरों में संविदा अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा हम उचित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को स्वीकार करते हैं।

तारीख:

एजेन्सी / फर्म सील के साथ
बोलीदाता का नाम तथा हस्ताक्षर

अन्य निबंधन तथा शर्तें

1. सफल बोलीदाता को निविदा के अंतिम रूप दिए जाने के तारीख से 7 दिनों के अंदर **5,00,000/-रू. (पांच लाख रूपए)** का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डीडी के रूप में मुंबई में देय **"सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में करना होगा, निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न करने पर संविदा रद्द/समाप्त कर दी जाएगी तथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। **5,00,000/-रू. (पांच लाख रूपए)** के प्राप्त होने के पश्चात कार्य आदेश जारी किया जाएगा।

2. **5,00,000/-रू. (पांच लाख रूपए)** प्राप्त किए जाने के पश्चात सफल बोलीदाता को समतुल्य मूल्य के गटर, जलनिकासी तथा मल-व्यवस्था लाइनों के अपशिष्टों को स्वच्छ करने, उठाने तथा निपटान करने की अनुमति दी जाएगी। दुबारा बोलीदाता को समतुल्य मूल्य के अपशिष्ट उठाने के लिए **5,00,000/-रू. (पांच लाख रूपए)** जमा कराने होंगे। गटर की सफाई / अपशिष्टों के हटाने तथा इनके निपटान किए जाने का उक्त चक्रीय प्रक्रिया **01 वर्ष तक** लागू रहेगी। कार्यादेश जारी किए जाने की तारीख से जैसा है जहा है की स्थिति के अनुसार **01 वर्ष तक** नियमित रूप से सारी सामग्रियां उठानी होंगी।

3. अपशिष्ट सामग्रियों को साफ करने, उठाने तथा हटाने का कार्य अभीक्षक अथवा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्रतिनिधि की निगरानी में ही किया जाएगा।

4. गटर अपशिष्ट के साफ करने, उठाने, हटाने तथा निपटान के संबंध में होने वाले सभी व्यय का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसा कोई व्यय वहन नहीं करेगा।

5. सामग्रियों को फैलाने/सुखाने/अलग-अलग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अनुमति जारी किए जाने के पश्चात ही इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थानों से ही गटर अपशिष्ट सामग्रीयों को साफ करने / उठाने तथा हटाने की अनुमति दी जाएगी।
7. सफल बोलीदाता संविदा अवधि के दौरान गटर की सारी सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।

8. **तुलन प्रक्रिया:-** खाली वाहन का तुला चौकी पर वज़न लिया जाएगा। इसके पश्चात वाहन में गटर अपशिष्ट का लदान किए जाने के पश्चात वाहन का वज़न लिया जाएगा, यह कार्य अभीक्षक अथवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्रतिनिधि की निगरानी में ही किया जाएगा। तुलन के अंतर को गटर अपशिष्ट का वज़न माना जाएगा।

9. **बिलन:-** गटर अपशिष्ट के वज़न का निर्धारण किए जाने के पश्चात बोली में स्वीकृत दरों के अनुसार सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा बिल तैयार करवाया जाएगा। बिल पर लागू दरों का भुगतान भी सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

10. यह निविदा अहस्तांतरणीय है। सफल बोलीदाता किसी भी मामले में किसी अन्य उप संविदाकार अथवा अन्य किसी संगठन को नियोजित नहीं करेगा। निविदा सूचना के तहत उसे अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है।

11. यदि बोलीदाता बिना किसी उचित कारण के निर्धारित अवधि के अंदर गटर अपशिष्ट की पूरी सामग्री नहीं हटाता है, तो इसे संविदा-भंग माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा ईएमडी राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. संविदा के समाप्त किए जाने अथवा रद्द किए जाने की स्थिति में बोलीदाता मुआवज़े क्षति अथवा अन्यथा के रूप में प्राधिकरण से किसी भी राशि/राशियों को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

13. सफल बोलीदाता सीप्ज़-सेज़ परिसर के अंदर प्रवेश के पहले अपने प्राधिकृत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना होगा तथा इसे संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा जब कभी मांगा जाए, इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

****

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel.: 022-28294719 फैक्स / Fax: 28291385,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/GCA/449/2016-17/Vol-II/ 09304 Dated 02/05/2019

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Annual contract for cleaning of Gutters, Drainage and Sewerage lines within SEEPZ-SEZ premises including SEEPZ-SEZ Residential Complex and removal / disposal of the same.

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed tenders from the registered / empanelled vendors with SEEPZ-SEZ Authority for subject work on "As is where is condition" for the year 2019-20. The Scope of Work includes as under:

1. Cleaning of Gutters, Drainage and Sewerage lines within the SEEPZ-SEZ premises including SEEPZ-SEZ Residential Complex on daily basis.
2. Collecting of the waste within SEEPZ-SEZ premises as well as SEEPZ-SEZ Residential Complex.
3. Removal / Disposal of the said waste on daily basis.

II. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:

1. Tender should be submitted by the empanelled / registered vendors in two bid system i.e. (i) Technical Bid & (ii) Financial Bid;

   Envelope-1: Superscribe 'Technical Bid' should contain the documents required for technical eligibility (as per Paragraph III);

   Envelope-2: Superscribe 'Financial Bid' should contain the bid value (as per Paragraph IV).
2. Both sealed envelopes should be submitted together in large size single cover with superscribing "Annual contract for cleaning of Gutters, Drainage and Sewerage lines within SEEPZ-SEZ premises including SEEPZ-SEZ Residential Complex and removal / disposal of the same" on the top of the envelope and address to "The Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, Andheri (E), Mumbai-96".

3. Last date for receipt of the sealed envelope is **24/05/2019** up to 14:30 hrs. by post / courier / through bidder personally or through their authorized representative(s) or the same can

be dropped in the Tender Box, kept at ground floor of the office near Inward Desk of DC Office, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

4. Tender received late, unsealed or without superscription are liable to be rejected.

5. Every correction / deletion / addition / overwriting / slip pasted shall be signed by the bidder.

6. Tender notice should be duly signed with seal of the company firm and complete in the printed form.

7. Incomplete, ambiguous and conditional tenders will not be entertained.

8. Bidder shall submit the certificate of authorization of the authorized signatory (applicable in case of the Association of person / Company / Partnership Firm).

9. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof, or in the event of the absence of any partner, it shall be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so.

10. Bidder should quote the rates in words and in figure; if the rates quoted in words, differ from the rate quoted in figure, the higher of the two will be taken as correct rate.

11. The bidder may represent themselves personally or through authorized representative along with authorization letter from the concerned agency, if any, at the time of opening of tender.

12. The Committee may, if so desire relax / amend one or other condition to determine eligibility of the bidder without assigning any reason, thereof.

13. Any enquiry after submission of the bid shall not be entertained.

14. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all the tenders at any time / state, without assigning any reason whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the bidders.

15. In case of withdrawal of the bid, the EMD will be forfeited.

III. <u>OPENING OF TENDER</u>:

1. The 'Envelope-1' superscribed as 'Technical Bid' will be opened on **<u>24/05/2019</u>** at 16:00 hrs in the Conference Hall, 2nd Floor of DC Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-96 in presence of bidders and or their authorized representative(s) who may like to be present before the Tender Opening Committee.

2. Date and time for opening of 'Envelope-2' superscribed as 'Financial Bid' will be intimated at the time of opening of 'Envelope-1', only for technically qualified bidders.

3. All bids should be evaluated by Tender Opening Committee on the basis of documents provided for technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidder and the decision of the Committee will be final.

4. The sale proceed so realized on the Gutter Waste will be treated as price inclusive of Customs duty, however, excluding in respect of Gutter Waste of SEEPZ-SEZ Residential Complex.

(Raju Kumar)
Assistant Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

ANNEXURE-A

I. PRIMARY DETAILS OF THE AGENCY:

1. Name of the Agency / Firm:
2. Communication Address:
3. Contact No.:
4. Email address (mandatory):

II. CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION (TECHNICAL BID DOCUMENTS):

1. Registered / empanelled document(s) with SEEPZ-SEZ Authority.
2. Copy of PAN, GST Registration and Income Tax Return for preceding three years of the agency / firm.
3. Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 1.00 lakh (Rupees One lakh) in the form of Demand Draft / Pay Order drawn from any Nationalized / Scheduled Bank in favor of "SEEPZ-SEZ Authority Fund" payable at Mumbai only.
4. Valid certificate of Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) for handling Gutter Waste.
5. The agency / firm should have minimum turnover of Rs. 50.00 lakh (Rupees Fifty lakh) each of preceding three years (Enclose copies of audited balance sheet).
6. Self declaration for 'acceptance of terms and conditions of the tender notice' duly signed by the bidder in token of having understood and agreed to the same.
7. Copies of work orders in respect of contract awarded by the Department of Central Government / Central Government PSUs / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Bodies / Bank / Reputed Private Companies / Firms during preceding 05 years. At least five clients list of above mentioned Department / Organization should be enclosed.
8. An Affidavit on Rs. 100/- stamp paper duly notarized and stating following;

   (i) The agency / firm have not been blacklisted nor come any adverse notice by any department of Central Government / Central Government PSUs / Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Bodies / Bank / Reputed Private Companies / Firms.

   (ii) Neither the bidder nor any of his employee(s) have any criminal background till submission of the bid.

9. An undertaking stating that 'the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub-contract the performance of the services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the tender documents'.

10. The bidder should have its principal place of business in Mumbai (Enclose Certificate of Incorporation / Certificate of Commencement of Business / Shop and Establishment License / Agreement(s) acquiring the premises / Electricity Bill or Telephone Bill etc.).

FINANCIAL BID FORMAT

In Rs.

Sr. No.	**Description**	**Rate per Kg. (in figure)**	**Rate per Kg. (in words)**
1	Cleaning of Gutters, Drainage and Sewerage lines within SEEPZ-SEZ Authority as well as SEEPZ-SEZ Residential Complex and disposal of the same.		

Financial Bid should contain the rates per kg. (Exclusive of payable taxes & custom duty)* *"As is where is condition".***

**The sale proceed so realized on the Gutter Waste will be treated as price inclusive of Customs duty, however, excluding in respect of Gutter Waste of SEEPZ-SEZ Residential Complex.*

We undertake that the rates quoted above by us will not change during the contract period and accept the payment schedule as described in the appropriate column.

Name & signature of the bidder
with agency / firm seal

Date:________

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. Successful bidder will be required to make the payment of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh), within 07 days from the finalization of the tender, in the form of Demand Draft drawn from any Nationalized or Scheduled Bank in favour of **"SEEPZ SEZ Authority Fund"** payable at Mumbai only. Failure to make the payment in stipulated period will result into cancellation / termination of the contract and thereby the EMD amount will be forfeited. On receipt of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh), the Work Order will be issued.

2. On receipt of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh), the successful bidder will be allowed to clean, lift and dispose the gutter waste, drainage and sewerage line of equivalent value. Again the bidder will have to deposit Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh) for further removal of the waste of equivalent value. The said cyclic process will be continued **till 01 year** for cleaning of gutter, drainage and sewerage line and removal / disposal of waste material. The entire material will have to be lifted regularly for **01 year** on "AS IS WHERE IS CONDITION" from the date of issue of Work Order.

3. Cleaning, lifting and removal / disposal of the waste materials shall be done only under the supervision of Caretaker or any other representative nominated by the SEEPZ-SEZ Authority for the said purpose.

4. All costs in connection with Cleaning, lifting, removing / disposal of the gutter waste materials will be borne by the successful bidder and no expenditure will devolve on the Authority.

5. Spreading or Drying or Segregation of the materials in the Zone will not be allowed.

6. Cleaning, lifting and removing/disposing of the gutter waste materials will be allowed from designated places for the purpose only and after issuance of necessary permissions by the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

7. Successful bidder shall be responsible for all cleaning aspect of gutter during the contract period.

8. Weighing Procedure: The empty vehicle will be weighed on the weighing bridge. Thereafter, weighing will be done again after loading of gutter waste in the vehicle, under the supervision of Caretaker or any other representative nominated for the purpose by the Authority. The difference in weighing will be considered as weight of the gutter waste.

9. Billing: The bill shall be prepared by the SEEPZ-SEZ Authority after determination of weight of gutter waste, as per the rate at which, the bid has been allowed. Applicable taxes on the bill will also be payable by the successful bidder.

10. Tender is not transferable. The successful bidder shall not engage to any sub-contractor or any other Organization in any matter and also not permitted to transfer their rights and obligations under the Tender Notice.

11. In case the bidder fails to remove the whole material of gutter waste, within stipulated period, without any justifiable reasons, the same will be treated as breach of contract and in that case the Authority will have the right to cancel/terminate the Work Order without assigning any reason and EMD amount will be forfeited. No representation will be entertained in this regard.

12. On termination or cancellation of contract, the successful bidder shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, from the Authority by way of compensation, damages or otherwise.

13. The successful bidder should conduct the police verification of their authorized employees before entry into the SEEPZ-SEZ premises and the same should be made available to the office as and when required and demanded by the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

****